

**विदेशी प्रधानों के भारतीय एजेंट का डीजीएस एंड डी के साथ सूचीयन**

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. F.23(I)E.III(A)/89, दिनांक 31.1.89 तथा सामान्य वित्त नियमावली 2005 के नियम सं. 143 के अनुसार, ऐसे भारतीय एजेंटों के लिए डीजीएस एंड डी के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो अपने विदेशी प्रधानों की ओर से सीधे बोली लगाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त सीएसआईआर परिपत्र सं. 13-4(04)/15-16/S&P/Policy/cir दिनांक 09.03.2016 के अनुसार दिनांक 01.08.2016 से ऐसे भारतीय एजेंटों, जो डीजीएस एंड डी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, द्वारा प्रस्तुत बोली तुरंत अस्वीकार कर दी जायेगी।

अतः सीएसआईआर - एनआईआईएसटी के साथ कारोबार करने तथा किसी भी प्रकार की निविदा / बोली में भाग लेने के इच्छुक - विदेशी प्रधानों के सभी भारतीय एजेंट के पास डीजीएस एंड डी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। ऐसे सभी विक्रेताओं से अनिवार्यतः पंजीकरण करने का अनुरोध है।

आवश्यकप्रपत्र डीजीएस एंड डी की वेबसाइट <http://www.dgsnd.gov.in> पर उपलब्ध हैं

**ENLISTMENT OF INDIAN AGENTS OF FOREIGN PRINCIPALS WITH DGS&D**

As per Ministry of finance, Department of Expenditure OM No.F.23(I)E.III(A)/89 dated 31.01.89 read along with Rule 143 of General Finance Rules, 2005, It is compulsory for Indian Agents, who desire to quote directly on behalf of their foreign principals to get themselves registered with DGS&D. Further C.S.I.R Circular no. 13-4(04)/15-16/S&P/Policy/cir dated 09.03.2016 stipulates that w.e.f 01.08.2016, any bid submitted by the Indian agent who are not enlisted with DGS&D are liable to summarily rejected.

Hence all Indian agents of foreign principals who are desirous of doing business with CSIR -NIIST and also participate in any form of tendering / bidding must possess valid registration certificate from DGS&D. All such vendors are requested to register themselves and submit a copy of Registration Certificate to NIIST.

Necessary forms are available in DGS&D website <http://www.dgsnd.gov.in>

**भंडार एवं क्रय नियंत्रक / controller of stores & purchase**